न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/295

बिरधी लाल आत्मज श्री गोपी लाल जाति दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर आयु 69 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. घनश्याम आयु 67 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. भंवर सिंह आयु 56 वर्ष आत्मज श्री हरजी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. गिरिराज आयु 54 वर्ष आत्मज श्री हरजी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. जुगराज आयु 48 वर्ष आत्मज श्री हरजी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राधेश्याम आयु 67 वर्ष आत्मज श्री गोपी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. रामस्वरूप आयु 65 वर्ष आत्मज श्री गोपी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/296

रामस्वरूप आत्मज श्री गोपी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. नाथू आयु 73 वर्ष आत्मज श्री नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. भंवर सिंह आयु 56 वर्ष आत्मज श्री हरजी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

3. गिरिराज आयु 54 वर्ष आत्मज श्री हरजी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. जुगराज आयु 48 वर्ष आत्मज श्री हरजी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. बिरधी लाल आत्मज श्री गोपी लाल जाति दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राधेश्याम आयु 67 वर्ष आत्मज श्री गोपी दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. छीतर आयु 69 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. घनश्याम आयु 67 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति दरोगा निवासी ग्राम हाडो का पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रघुवीर सिंह शीहर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में।
2. श्री रघुवीर सिंह राजावत, श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 11.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग—अलग पत्रावली में सलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट बिरधीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में 245/दावा/2000 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत बंटवारा कृषि भूमि एवं कब्जा प्राप्ति का ग्राम हाडो का पीपल्दा जिला, बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 375 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 418 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 533 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 557 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 591 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 631 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 09 रकबा 50 बीघा 09 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है । वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान के मध्य आपसी पारिवारिक सहमति से विभाजन हो रहा है और वह अपनी—अपनी

भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादी नौकरी के सिलसिले में कोटा रहता है और अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 631 में से 04 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी भाग की भूमि को आधौली पर काश्त करवाता आ रहा है लेकिन सन् 1986 के मध्य में प्रतिवादी क्रम 4 गिर्राज ने ताकत के बल पर अवैध रूप से व अनाधिकृत रूप से वादी को बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः वादग्रस्त आराजी का आपसी बंटवारे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 6 तथा 8 व 9 के मध्य बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 04 को वादी के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 631 में से 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जावे ।

4. इसी प्रकार वादी रामस्वरूप ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 335/दावा/2000 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 631 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से 1/8 पूर्वी हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1 ने दिनांक 25.10.1997 को जबरदस्ती कब्जा कर लिया है जिससे उसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.09.2011 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 13.09.2011 से व्यथित होकर वादी अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में दो अलग–अलग अपीलें पेश की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2012 के द्वारा दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर वाद पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 के द्वारा दोनों वाद संख्या 245/दावा/2000 एवं 335/दावा/2000 खारिज कर दिये ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.03.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में सन् 1987 में एक दावा 32/87 बंटवारे का पेश किया था जिसमें जवाबदावा प्रस्तुत किया था । रेस्पोडेन्ट क्रम 3 से 5 व मृतक खानी बाई के

द्वारा दौराने दावा एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 631 की रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में 1/8 हिस्से का विक्रय नाथू के पक्ष में कर दिया । इस पर रेस्पोडेन्ट क्रम 7 ने इस विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु एक दावा दीवानी न्यायालय में पेश किया । दीवानी न्यायलय के द्वारा दिनांक 14.10.2003 को निर्णय पारित किया गया और विक्रय पत्र को सशर्त निरस्त किया । निर्णय की प्रति प्रदर्श– 3ए संलग्न है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनाक 20.08.2007 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 245/2000 के साथ वाद संख्या 335/2000 को समेकित किये और दिनांक 13.09.2011 को निर्णय पारित किया इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में वापस आने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना तनकी के अनुसार नहीं की गई है । मौखिक साक्ष्य को नजर अन्दाज किया गया है । पक्षकारान के मध्य 67 वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखिक बंटवारा हो चुका था । पूर्व बंटवारे एवं कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है । साक्ष्य में गिरिराज ने स्वीकार किया है कि वक्रेता नाथू का इस आराजी पर कभी काश्त नहीं की है तहसीलदार, बून्दी इस भूमि पर रिसीवर है । रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की गई है । समस्त पक्षकारान के नाम दोनों दावों के अनुसार अंकित नहीं किया गया है । बंटवारे के दावे को खारिज किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2010 (1) सीसीसी पेज 256, 2010 (1) सीसीसी पेज 618 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में मौखिक बंटवारे की साक्ष्य अपीलान्ट वादी के द्वारा पेश नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति दिनांक 14.10.2003 प्रदर्श– 5ए, इसी निर्णय की प्रति पर प्रदर्श– 3ए भी अंकित किया गया है। रसीद की प्रति प्रदर्श 1 लगायत 18 । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2054 से 2056 प्रदर्श– 19, नकल जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 प्रदर्श–20 पेश किये गये हैं । इस दावे के साथ दावा संख्या 335/दावा/2000 की पत्रावली भी संलग्न की गई है ।

13. बयान बिरधीलाल पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 विजयसिंह, दुर्गालाल पीडब्ल्यू–3 कराएं हैं ।

14. बयान रामस्वरूप डीडब्ल्यू–1, गिरिराज डीडब्ल्यू– 2, धनसिंह डीडब्ल्यू–3, डीडब्ल्यू–4, जुगराज डीडब्ल्यू–5 करायें हैं । रामरतन के शपथ पत्र पर डीडब्ल्यू– 4 अंकित है परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ।

15. इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2012 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि नाथू को भी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार

बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विस्तृत विवेचन करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । रिमाण्ड होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को दिनाक 18.02.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया और इसके साथ वाद संख्या 335/दावा/2000 को समेकित किया गया । एक अतिरिक्त तनकी कायम की है परन्तु अपीलाधीन निर्णय में इस अतिरिक्त तनकी को शामिल नहीं किया गया है और निर्णय के उनवान में भी दूसरे दावे का उनवान अंकित नहीं किया गया है ।

16. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सहखातेदारों के मध्य विभाजन का दावा पेश किया गया है । वादी का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से वादपत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार बंटवारा हो गया था और उसी के अनुसार पक्षकार काबिज हैं । यदि यह तनकी उनके पक्ष में सिद्ध नहीं पायी जाती है तो भी तनकी नम्बर 4 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा कराने का वादी को अधिकार है । वादी ने अपने दावे की प्रार्थना के विकल्प में यह कथन किया है कि यदि अन्य प्रकार से बंटवार किया जावे तो वादी को उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा दिलाया जावे । इस प्रकार दावे की प्रार्थना एवं तनकी नम्बर 4 के अनुसार यदि आपसी सहमति से चरण संख्या 3 के अनुसार बंटवारा प्रमाणित नहीं माना जाता है तो भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार वादी को वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने का अधिकार है ।

17. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्याालय ने दावा वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है । हम इस प्रकरण को रिमाण्ड निर्देशों की पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18.02.2013 की आदेशिका के अनुसार कायम की गई अतिरिक्त तनकी का भी विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए समेकित दावे के उनवान का उल्लेख करते हुए पैरा संख्या 15 एवं 16 में किये गये विवेचन के अनुसार नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के अन्दर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा